न्यायालय सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : डॉ. प्रतिमा सिंह, आई.ए.एस.

विभागीय अपील संख्या 07 / 2024

अपीलांट	बनाम	रेस्पोटेन्ट
जितेन्द्र पुत्र लक्ष्मण, अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी, कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, जोधपुर दक्षिण		उपखण्ड अधिकारी, जोधपुर दक्षिण

विभागीय अपील अन्तर्गत नियम 23 राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियम एवं अपील) नियम 1958 विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी, जोधपुर दक्षिण के आदेश क्रमांक संस्थापन /2024/1194 दिनांक 27.06.2024 जिसके द्वारा सीसीए 17 के तहत अपीलान्ट की एक वार्षिक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने का दण्डादेश पारित किया।

उपस्थितिः—

1. अपीलान्ट स्वयं उपस्थित।
2. विभागीय पैरोकार ना0तहसीलदार, उपखण्ड अधिकारी कार्यालय जोधपुर दक्षिण

निर्णय

दिनांकः 03 मार्च,2025

अपीलान्ट ने यह अपील उपखण्ड अधिकारी, जोधपुर दक्षिण के द्वारा राज0 असैनिक सेवाये नियम 1958, के नियम 17 के तहत उनकी एक वार्षिक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने के दण्ड से दण्डित कर दिये जाने पर राज0 असैनिक सेवाये (वर्गीकरण, नियम एवं अपील) नियम 1958, के नियम 23 के तहत दिनांक 28.08.2024 को प्रस्तुत की गई है।

प्रस्तुत अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर से अपील पर उपखण्ड अधिकारी, जोधपुर दक्षिण से उनकी विभागीय टिप्पणी एवं उनका मूल अभिलेख तलब किया गया।

तत्पश्चात अपीलान्ट एवं विभागीय पैरोकार को दिनांक 24.02.2025 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु तलब किया गया। उपस्थित अपीलान्ट एवं विभागीय पैरोकार श्री इन्द्रसिंह, नायब तहसीलदार को दिनांक 24.02.2025 को सुना गया। अपीलान्ट ने दौराने सुनवाई मुख्य रूप से यह कथन किया कि अपीलान्ट ने अपने पूर्व के राजकीय सेवाकाल में सभी प्रकार के कार्य ईमानदारी,

सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

तत्परता व कठोर परिश्रम से सही समय पर उच्चाधिकारियों के निर्देशानुसार अपने पदीय दायित्वों के अधीन रहकर सम्पादित किये है, उन्हें पूर्व में किसी प्रकार के दण्ड से दण्डित नहीं किया गया है। अपीलान्ट के उपखण्ड अधिकारी, जोधपुर दक्षिण कार्यालय में अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी के पद पर पदस्थापन के दौरान उपखण्ड अधिकारी, जोधपुर दक्षिण ने सीसीए नियम 17 के तहत ज्ञापन कमांक 691 दिनांक 25.08.2023 के द्वारा अपीलान्ट को निम्न आरोप से आरोपित किया:--

आरोप संख्या एक–

आप श्री जितेन्द्र अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी, कार्यालय उपखण्ड अधिकारी जोधपुर दक्षिण के पद पर कार्यरत है। इस कार्यालय के पत्रांक संस्था/2023/928 दिनांक 28.6.2023 एवं संस्था/2023/1099 दिनांक 25.07.2023 के अनुसार आपको संस्थापन शाखा एवं भण्डारपाल का कार्यभार दे रखा है। उपखण्ड अधिकारी जोधपुर दक्षिण के द्वारा निरीक्षण किये जाने पर उक्त शाखाओं का कार्य अपूर्ण एवं पत्रावली अव्यवस्थित पाई गई एवं आप द्वारा कोई भी स्पष्ट/संतोषप्रद जवाब नहीं दे पाये एवं आप दिनांक 12.7.2023 व 24.07.2023 तक कार्यालय से अनुपस्थित थे एवं उक्त अनुपस्थिति के सम्बन्ध में आप द्वारा कार्यालय में किसी भी प्रकार की सूचना अथवा पत्राचार नहीं भिजवाया गया है। कार्यालय समय में शराब का सेवन कर महिला कर्मचारियों एवं अन्य कर्मचारियों से भी अभद्र व्यवहार किया जा रहा है आपका यह कृत्य कार्य के प्रति लापरवाही दर्शाता है जिससे कार्यालय के कार्य सम्पादन में बाधा उत्पन्न हुई है। इस प्रकार आपका यह कृत्य अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी के पद पर कार्यरत रहते हुए राजकार्य में उदासीनता, शिथिलता व उच्चाधिकारियों के निर्देशो की अवहेलना करने, कार्यालय समय में शराब सेवन आदि गम्भीर लापरवाही की श्रेणी में आता है।

अपीलान्ट ने दौराने सुनवाई यह कथन किया कि अपीलान्ट के द्वारा उक्त ज्ञापन का प्रत्युतर दिनांक 22.03.2024 को प्रस्तुत किया जाकर आरोपित आरोपों को अस्वीकार करते हुए संस्थित अनुशासनिक कार्यवाही को समाप्त करने एवं आरोप मुक्त करने का निवेदन किया था परन्तु उपखण्ड अधिकारी महोदय के द्वारा अपीलान्ट को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर दिये बिना ही आरोपित आरोप की पुष्टि होना मानते हुए अपीलाधीन आदेश दिनांक 8.4.2024 के द्वारा अपीलान्ट की दो वार्षिक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने के दण्ड से दण्डित किया गया है। जिसके विरूद्ध अपीलान्ट के द्वारा यह विभागीय अपील श्रीमान न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की जा रही है।

संभागीय आयुक्त
जोधपुर

अपीलान्ट ने दौराने सुनवाई यह भी कथन किया कि अपीलान्ट के द्वारा उपखण्ड अधिकारी महोदय को आरोपित आरोप के सम्बन्ध में दिनांक 25.06.2024 को प्रत्युतर प्रेषित करते हुए निवेदन किया गया था कि अपीलान्ट की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, मेरा मनोचिकित्सक विभाग, मथुरादास माथुर चिकित्सालय, जोधपुर में निरन्तर ईलाज चल रहा है। मेरी मानसिक स्थिति ठीक नहीं होने से मेरा जुलाई, 2023 में एक्सीडेन्ट हो गया था और उस वक्त कार्यालय में नहीं आ पाया था। इस बाबत मैने दिनांक 12.7.2023 से 24.7.2023 का उपार्जित अवकाश प्रार्थना पत्र पेश किया गया जिसे स्वीकृत भी किया गया था। मेरी पारिवारिक स्थिति एवं मानसिक स्थिति ठीक नहीं होने से दवाईयों के सेवन से सभी को आभास होता था कि मैंने शराब का सेवन कर रखा है जबकि मैंने कभी शराब का सेवन नहीं किया, न ही किसी महिला या पुरूष अधिकारी/कर्मचारी से अभद्र व्यवहार किया। मुझे आवंटित सभी कार्य मैंने समय पर निष्ठा के साथ पूर्ण किये है, राजकार्य में मैंने कभी कोताही नहीं बरती है। अतः लिखित प्रतिवेदन प्रस्तुत कर निवेदन है कि मेरे विरूद्ध विचाराधीन आरोप पत्र को सहानुभूति पूर्वक निरस्त कर अनुग्रहित करावें।

अपीलान्ट ने दौराने सुनवाई भी उपखण्ड अधिकारी जोधपुर दक्षिण के द्वारा अपीलान्ट के उक्त प्रत्युतर को स्वीकार नहीं कर उसे दोषी मानते हुए दिनांक 27.06.2024 को अपीलाधीन आदेश पारित कर अपीलान्ट की 1 वार्षिक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकने के दण्ड से दण्डित कर दिया। तब अपीलान्ट ने यह अपील राज0 सिविल सेवाये नियम 1958 के नियम 23 के तहत श्रीमान के न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

अपीलान्ट ने दौराने सुनवाई यह भी कथन किया कि अपीलान्ट के द्वारा उक्त ज्ञापन की प्रति प्राप्त होने पर उसके द्वारा आरोपित आरोप से सम्बन्धित लिखित में सम्पूर्ण घटनाक्रम व कार्यवाही का अंकन करते हुए अपना प्रत्युतर प्रस्तुत किया परन्तु उपखण्ड अधिकारी महोदय के द्वारा अपीलान्ट के उक्त प्रत्युतर को नियमों के अनुसार कन्सीडर किये बिना ही तथा व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर दिये बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित कर दण्डित कर दिया जो कि निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलान्ट को अच्छी तरह से मालूम है राजकीय सेवक को कार्यालय समय में शराब का सेवन नहीं करना चाहिये। मैने कार्यालय समय में ना तो कभी शराब का सेवन किया है और ना ही किसी महिला या पुरूष कर्मचारी से अभद्र व्यवहार किया है। सभी कार्मिको से मेरे बहुत अच्छे सम्बन्ध है तथा अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा किसी भी प्रकार से उच्चाधिकारियों के आदेशों की अवहेलना, राजकार्य के प्रति उदासीनता या लापरवाही नहीं बरती गई है।

संभागीय आयुक्त
जोधपुर

अपीलान्ट ने दौराने सुनवाई यह भी कथन किया कि उपखण्ड अधिकारी महोदय द्वारा अपीलान्ट के विरूद्ध अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर भी प्रदान नहीं किया गया जो कि प्राकृतिक न्याय व नैसर्गिक सिद्धान्तों के विपरित होने से निरस्त योग्य है। यदि व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाता तो कार्मिक अपना पक्ष ठोस तरीके से उनके समक्ष रख सकता था। इसके अलावा उपखण्ड अधिकारी महोदय द्वारा किस दिनांक को व कब कार्यालय का निरीक्षण किया गया एवं कौन सा कार्य अपूर्ण या कौनसी पत्रावली अव्यवस्थित पाई गई, इसका आरोप पत्र में उल्लेख भी नहीं किया गया है और अपीलान्ट द्वारा किन महिला कर्मचारी या किस पुरूष कर्मचारी से अभद्र व्यवहार कब व किस दिनांक को किया गया, का साक्ष्य व सबूत के साथ उल्लेख भी नहीं किया गया है। इससे जाहिर होता है कि उक्त आरोप निराधार व तथ्यहीन है।

अपीलान्ट ने दौराने सुनवाई भी यह कथन किया कि कार्मिक को दिनांक 1.7.2023 की देय वार्षिक वेतनवृद्धि अभी तक स्वीकृत नहीं की गई है और ना ही एरियर का भुगतान किया गया है। अपीलान्ट एक अल्प वेतनभोगी व अनुसूचित जाति का कार्मिक है तथा स्वास्थ्य ठीक नहीं होने के कारण अवकाश पर रहा है। अपीलाधीन आदेश से अपीलान्ट की राज्यसेवा में अधिक भविष्यगामी परिणाम सिद्ध होगा तथा पदौन्नति की राह में बाधा उत्पन्न हो जायेगी। अतः उपरोक्त समय की परिस्थितियों, पारिवारिक कारणों, स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याओं के कारणों को दृष्टिगत रखते हुए उक्त आदेश को निरस्त करने का श्रम करावें तथा अपीलान्ट के प्रति सहानुभूति रखते हुए उसे दोषमुक्त किया जावें।

प्रत्युतर में व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान उपस्थित विभागीय पैरोकार श्री इन्द्रसिंह, ना0 तहसीलदार ने यह कथन किया कि अपीलान्ट पर जो आरोप आरोपित किया गया है, वह पूर्ण रूप से उचित प्रतीत होता है क्योंकि अपीलान्ट के द्वारा अपने कर्तव्य, कार्य के प्रति लापरवाही तथा कार्यालय समय में शराब पीकर आने व महिला तथा पुरूष कर्मचारियों से अभद्र व्यवहार किये जाने एवं उन्हें आवंटित कार्यो को अपूर्ण एवं अव्यवस्थित तरीके से सम्पादित करने एवं बिना सूचना के कार्यालय से अनुपस्थित रहने के कारण तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी महोदय द्वारा अपीलान्ट पर आरोपित आरोप प्रमाणित होने के आधार पर अपीलान्ट की एक वार्षिक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने का दण्डादेश पारित किया गया है जो यथावत रखे जाने योग्य है।

संभागीय आयुक्त
जोधपुर

विभागीय पैरोकार ने यह भी कथन किया कि अपीलान्ट को कारण बताओं नोटिस भी जारी किया गया था जिसका प्रत्युतर अपीलान्ट ने मौखिक रूप से स्पष्ट व संतोषप्रद नहीं दिया गया। अपीलान्ट को आवंटित कार्य समय पर सम्पादित नहीं करने से कार्यालय के कार्यो में बाधा उत्पन्न हुई। अपीलान्ट का एक्सीडेन्ट दिनांक 20.12.2022 को हो जाने से दिनांक 20.12.2022 से 01.03.2023 तक मेडिकल अवकाश का उपभोग किया गया परन्तु आरोप पत्र में वर्णित दिनांक 12.07.2023 से 24.07.2023 की अवधि में बिना सक्षम स्वीकृति के अपीलान्ट कार्यालय से नदारद रहे है जो बाद में उपार्जित अवकाश के प्रार्थना पत्र पर उक्त अवधि का अवकाश स्वीकृत किया गया है। इस प्रकार अपीलान्ट को उनकी एक वार्षिक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने का जो अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है वो पूर्ण रूप से सही होने से बहाल रखा जावे एवं अपीलान्ट की अपील खारिज की जावें।

हमने अपीलान्ट एवं विभागीय पैरोकार के द्वारा की गई बहस पर गहनता से चिंतन एवं मनन किया तथा अपील एवं अपील पर अधीनस्थ कार्यालय द्वारा प्रेषित टिप्पणी का अवलोकन किया, जिससे यह पाया गया है कि उपखण्ड अधिकारी के द्वारा अपीलान्ट श्री जितेन्द्र को उपरोक्त एक आरोप से आरोपित किया गया जिसमें अपीलान्ट के द्वारा अपने कर्तव्य, कार्य के प्रति लापरवाही तथा कार्यालय समय में शराब पीकर आने व महिला तथा पुरूष कर्मचारियों से अभद्र व्यवहार किये जाने एवं उन्हें आवंटित कार्यो को अपूर्ण एवं अव्यवस्थित तरीके से सम्पादित करने एवं बिना सूचना के कार्यालय से अनुपस्थित रहने के तथ्य अंकित किये गये है।

अपीलान्ट के विरूद्ध उल्लेखित कार्यवाही उपखण्ड अधिकारी कार्यालय जोधपुर दक्षिण में कार्यरत कार्मिकों के द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर सम्पादित की गई है। अधीनस्थ कार्यालय की पत्रावली के अवलोकन से यह कहीं स्पष्ट नहीं होता है कि अपीलान्ट के शराब का सेवन किये जाने की जानकारी होने पर उनका स्वास्थ्य परीक्षण करवाया गया जिसमें उनके शराब सेवन की पुष्टि हुई हो। इसके अलावा अपीलान्ट की दर्शाई गई अनुपस्थिति अवधि को उपखण्ड अधिकारी स्वयं के द्वारा दिनांक 01.01.2024 को उपार्जित अवकाश के रूप में स्वीकृत की जा चुकी थी तो अपीलान्ट को अनुपस्थित मान कर उनके विरूद्ध धारित किये गये आरोप को प्रमाणित कैसे माना जा सकता है। अपीलान्ट के द्वारा कार्यालय के कर्मचारियों के साथ अभद्र व्यवहार कब एवं किन व्यक्तियों के समक्ष किया गया और अपीलान्ट के द्वारा कौनसा राजकार्य विलम्ब से किया गया तथा कौनसा राजकीय कार्य अव्यवस्थित रखा गया, ऐसा कोई भी साक्ष्य अधीनस्थ कार्यालय की पत्रावली में मौजूद नहीं है जिससे अपीलान्ट पर आरोपित आरोप को प्रमाणित माना जाकर उन्हें दण्डित किया जा सके। उपखण्ड अधिकारी के द्वारा अपीलाधीन

संभागीय आयुक्त
जोधपुर

आदेश पारित करने से पूर्व अपीलान्ट को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया जाना भी पत्रावली से प्रकट होता है जो कि प्राकृतिक न्याय एवं नैसर्गिक सिद्धान्तों के अनुसार आवश्यक था। अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों पर गहनता से मनन व चिन्तन करने के उपरान्त अपीलान्ट की अपील स्वीकार किये जाने योग्य पाई जाती है।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के उपरान्त अपीलान्ट की अपील स्वीकार की जाती है तथा उपखण्ड अधिकारी, जोधपुर दक्षिण के द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.06.2024 को निरस्त किया जाता है। निर्णय आज दिनांक 03 मार्च, 2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 प्रतिमा सिंह)
सम्भागीय आयुक्त,
जोधपुर